राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

क्रमांक :– निसआआ/राआम/2012/मु.अ.-392 दिनांक :– 10.9.2012

कार्यालय आदेश

जनहित याचिका क्रमांक 9497/2007 में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 07/09/2012 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एवं दिनांक 08/09/2012 को माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में, सम्पन्न हुई बैठकों में हुए विचार विमर्श के क्रम में, मण्डल की मानसरोवर एवं प्रताप नगर आवासीय योजनाओं के समीप से गुजर रहे, अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र से, अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने सम्बन्धी आदेशों की पालना हेतु मण्डल के निम्नलिखित अधिकारियों की दो टीमें गठित की जाती हैं :–

1. मानसरोवर योजना :–

i.	श्री ए0 ए0 खांन	उप आवासन आयुक्त, वृत द्वितीय
ii.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	आवासीय अभियन्ता, खण्ड षष्ठम्.
iii.	श्री एम0 आर0 बड़गुर्जर	आवासीय अभियन्ता, खण्ड नवम्.
iv.	श्री बी0 एल0 मीणा	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड षष्ठम्.
v.	श्री आर0 पी0 माथुर	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड षष्ठम्.
vi.	श्री डी0 एल0 माथुर	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड नवम्.
vii.	श्री हरिओम गुप्ता	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड नवम्.

2. प्रताप नगर योजना :–

i.	श्री सीताराम बारी	उप आवासन आयुक्त, वृत प्रथम
ii.	श्री एच0 डी0 माथुर	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तृतीय
iii.	श्री जे0 एस0 बुगालिया	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चतुर्थ
iv.	श्री एम0 एस0 हाडा	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड तृतीय
v.	श्री एच0 के0 मीणा	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड तृतीय
vi.	श्री भगवान सहाय	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड चतुर्थ
vii.	श्री एम0 एस0 हुडा	परि0अभि0(वरिष्ठ), खण्ड चतुर्थ

उक्त टीमों को निर्देशित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सम्पर्क कर, मण्डल की मानसरोवर एवं प्रताप नगर आवासीय योजनाओं के सीमाक्षेत्र में, अमानीशाह नाले के सीमांकन के दौरान, ज0वि0प्रा0 की टीम के साथ उपस्थित रहकर उनको पूर्ण सहयोग करें। उक्त टीमें यह भी सुनिश्चित करेंगीं कि सीमांकन का कार्य नाले के बहाव की सही दिशा व चौड़ाई में किया जावे।

लगातार. ...2

अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र में, यदि सीमांकन के अभाव में, मण्डल द्वारा किये गये किसी आवण्टन/भौतिक कब्जे की सुपुर्दगी सम्बन्धी जानकारी मिलती है, तो उसकी पहचान (Identification) की जाकर, ऐसे आवण्टन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं संकलित करते हुए, सम्पूर्ण एकीकृत प्रस्ताव, अपनी अनुशंषा सहित, निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु तीन दिवस में मुख्यालय को प्रस्तुत करेगें। सीमांकन का कार्य पूर्ण हो जाने पर, उक्त टीमों द्वारा पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जायेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

ह0/–
(टी. रविकान्त)
आवासन आयुक्त.

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
9. सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड ——————जयपुर।
10. सम्बन्धित परियोजना अभियन्ता–वरिष्ठ श्री————————————————.
11. रक्षित पत्रावली।

आवासन आयुक्त.

MIF